



राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(सब)जी-39-1/21-22/आ.कृ/गुप-9/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

निम्नानुसार सहायक कृषि अधिकारी जो कि अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 4 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	सहायक कृषि	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	
1.	श्री घनश्याम जोशी	किशोर	10.05.1961	31.05.2021	उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर
2.	श्री भवानी सिंह		05.07.1961	31.07.2021	सहायक निदेशक कृषि (वि) अजमेर
3.	श्री भगवान सिंह राठौड़		01.07.1961	30.06.2021	सहायक निदेशक कृषि (वि) केकड़ी

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित कार्मिकों के विरुद्ध :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(ताराचन्द मीणा)

आयुक्त कृषि

दिनांक: 26/03/2021

क्रमांक प.2(सब)जी-39-1/21-22/आ.कृ/गुप-9/14956-65

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जयपुर।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद अजमेर।
- 4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर/केकड़ी।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक श्री.....
- 7- निजी पंजिका।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)